

अनुस्मारक  
तत्काल  
संसद मामला

**सं: एच 11012/10/2014-एनबीए**  
भारत सरकार  
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय  
एनबीए प्रभाग

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली: 110003  
दिनांक: 12/12/2014

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव प्रभागी ग्रामीण स्वच्छता आन्ध्र प्रदेश, दमण एवं नागर हवेली, केरल,  
मणिपुर, पुदुच्चेरी, तमिल नाडु, तेलंगाना।

**विषय: बायो-शौचालय का निर्माण**

महोदय,

कृपया "बायो-शौचालयों" से संबंधित 13-12-2014 को दिए गए लोक सभा अताराकित प्रश्न सं. 3665, जिसका उत्तर 13.2.2014 को दिया गया, से संबंधित सूचना के विषय में इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2014 एवं बाद में अनुस्मारक दिनांक 13/05/2014, 21/05/2014 और 24/11/2014 को देखने का कष्ट करें। प्रश्न के भाग (ग), (घ), और (ङ) निम्न प्रकार हैं:-

(ग) अब तक राज्य-वार/ संघ क्षेत्र राज्य वार लक्षद्वीप सहित देश में बनाए गए ऐसे शौचालयों की कुल संख्या

(घ) उस पर हुआ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय और

(ङ) इन शौचालयों तथा उसके लिए विकसित आधारिक संरचना के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम।

2 . उपरोक्त अतारांकित प्रश्न के संबंध में आपके राज्य से सूचना अभी तक नहीं मिली है तदनुसार निवेदन है कि आश्वासन का उत्तर तैयार करने के लिए इस मंत्रालय को सूचना तत्काल भिजवाएँ।

भवदीय

(क्रिसटीना कुजुर)

अवर सचिव भारत सरकार

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्य समन्वयक, एनबीए, उपरोक्त राज्य
2. निदे. (एनआईसी):- मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।